Drishti IAS

Mains MARATHON

(मुख्य परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर) 2024

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Delhi
Drishti IAS,
641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View
Apartment, New Delhi

New Delhi
Drishti IAS,
21, Pusa Road,
Karol Bagh
New Delhi

Uttar Pradesh
Drishti IAS,
Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

Rajasthan
Drishti IAS,
Tonk Road,
Vasundhra Colony,
Jaipur, Rajasthan

Madhya Pradesh
Drishti IAS,
Building No. 12, Vishnu Puri,
Main AB Road,
Bhawar Kuan, Indore,
Madhya Pradesh

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Q1. भारत की अध्यक्षता में G-20 के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया नई दिल्ली घोषणापत्र, समानता एवं समावेशन का एक प्रमाण है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नई दिल्ली लीडर्स घोषणा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- समानता और समावेशन को बढ़ावा देने वाले जी-20 के कार्यों और योजनाओं का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

G20 शिखर सम्मेलन में अपनाया गया, नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र एक दस्तावेज़ है जो 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की थीम के तहत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये G20 सदस्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। घोषणापत्र में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, और G20 तथा अन्य हितधारकों के बीच सहयोग, समन्वय और बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

मुख्य भाग:

घोषणा के कुछ पहलू जो समानता और समावेशन को प्रदर्शित करते हैं:

- **समानता**
  - **लैंगिक समानता:** घोषणापत्र महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी पूर्ण तथा समान भागीदारी सुनिश्चित करने के महत्त्व को पहचानता है। घोषणापत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर G20 कार्य योजना का भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य श्रम बल भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच और नेतृत्व में लैंगिक अंतर को कम करना है।
  - **सामाजिक समानता:** घोषणा 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के सिद्धांत के आधार पर 2030 एजेंडा और उसके सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की G20 की प्रतिज्ञा की पुष्टि करती है।
    - घोषणापत्र विकासशील देशों, कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में मज़बूत पुनर्प्राप्ति और लचीलेपन के लिये G20 रोडमैप का भी समर्थन करता है, जो इन देशों की विशिष्ट चुनौतियों और कमज़ोरियों का समाधान करना चाहता है।
  - **आर्थिक समानता:** घोषणापत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन संकट के असमान प्रभावों को स्वीकार करता है और अधिक समावेशी एवं लचीले सुधार का आह्वान करता है, जिससे सभी लोगों तथा देशों को लाभ हो।
    - घोषणापत्र ऋण सेवा निलंबन पहल से परे ऋण उपचार के लिये G20 कॉमन फ्रेमवर्क का भी समर्थन करता है।
- **समावेशन**
  - **हितधारकों का समावेशन:** घोषणापत्र G20 प्रक्रिया और परिणामों में विभिन्न हितधारकों, जैसे नागरिक समाज, व्यवसाय, श्रम, युवा, महिलाएँ, थिंक टैंक और शिक्षा जगत के मूल्यवान योगदान और इनपुट को स्वीकार करता है।
    - घोषणापत्र गैर-G20 देशों और क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के साथ G20 की भागीदारी और संवाद का भी स्वागत करता है।
  - **सांस्कृतिक समावेशन:** घोषणापत्र सांस्कृतिक सहयोग और विकास के लिये G20 सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना एवं सांस्कृतिक विविधता और अधिकारों की रक्षा करना और बढ़ावा देना है।
  - **तकनीकी समावेशन:** घोषणापत्र डिजिटल परिवर्तन और चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की क्षमता तथा चुनौतियों को पहचानता है, जो सभी लोगों और क्षेत्रों के लिये प्रौद्योगिकी के लाभों का उपयोग करने के लिये प्रतिबद्ध है।
    - घोषणापत्र G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं और प्लेटफॉर्मों तक सार्वभौमिक, किफायती पहुँच प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता, कौशल तथा समावेशन को बढ़ाना है।

निष्कर्ष:

G20 शिखर सम्मेलन से नई दिल्ली की लीडर्स घोषणा एकता और सहयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत समकालीन चुनौतियों का समाधान

करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह घोषणा विभिन्न क्षेत्रों में समानता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करके अधिक न्यायसंगत और लचीले वैश्विक समुदाय की नींव रखती है। हितधारकों का जुड़ाव और सांस्कृतिक एवं तकनीकी समावेशिता पर ज़ोर देने से सतत् विकास और साझा समृद्धि की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होता है।

Q2. भारत-मालदीव संबंधों के महत्त्व का आकलन कीजिये। इस द्विपक्षीय संबंध में निहित चुनौतियों की पहचान करते हुए उन्हें दूर करने की रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- भारत-मालदीव संबंधों के महत्त्व का वर्णन कीजिये।
- इस द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों पर का वर्णन कीजिये।
- द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिये रणनीतियाँ सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत और मालदीव प्राचीन समय से जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं तथा घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण एवं बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं। मालदीव 'प्रथम पड़ोसी नीति (Neighbourhood First Policy)' के तहत भारत सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है।

मुख्य भाग:

भारत-मालदीव संबंधों का महत्त्व:

- **सामरिक महत्त्व:** मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिंद महासागर से होकर गुज़रने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में इसकी स्थिति इसे भारत के लिये महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।
- **आर्थिक व्यस्तताएँ:** भारत मालदीव में पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिये पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - वर्ष 2023 में भारत लगभग 11.8% बाज़ार की हिस्सेदारी के साथ मालदीव में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक (2,09,198) भेजने में शीर्ष पर रहा।
- **व्यापार समझौते:** भारत वर्ष 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार कर गया था।
- **बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:** अगस्त, 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के रूप में कार्यरत है।
- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** भारत और मालदीव प्राचीन समय से जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध साझा करते हैं। मानवविज्ञानियों के अनुसार, धिवेही (मालदीवियन भाषा) की उत्पत्ति संस्कृत और पाली से हुई है।
  - मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 27,000 है। मालदीव में अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय नागरिक हैं।

भारत-मालदीव संबंधों में प्रमुख मुद्दे:

- **चल रहा लक्षद्वीप मुद्दा:** यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के तीन उप मंत्रियों ने लक्षद्वीप की हालिया यात्रा के बाद भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं।
  - इस विवाद के कारण कई भारतीयों को मालदीव में अपनी छुट्टियों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। यह घटना क्षेत्र में अतिराष्ट्रवाद के संकट को रेखांकित करती है।
- **मालदीव में इंडिया आउट अभियान:** 'इंडिया आउट' पहल का उद्देश्य मालदीव में भारत के निवेश, दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और क्षेत्र में भारत के सुरक्षा प्रावधानों के बारे में संदेह उत्पन्न करके दुश्मनी को बढ़ाना है।
- **संप्रभुता और सुरक्षा दुविधा:** मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जो प्रमुख वैश्विक अभिकर्त्ताओं से प्रभावित क्षेत्रीय सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है।
  - मालदीव में विपक्ष दृढ़ता के साथ यह महसूस करता है, कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिये खतरा है।
- **हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को रद्द करना:** मालदीव को आशंका है कि भारत हाइड्रोग्राफिक गतिविधि के माध्यम से खुफिया जानकारी संग्रह कर सकता है।
  - मालदीव ने अपने जल क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिये भारत के साथ समझौते को रद्द करने का हालिया निर्णय लिया है, जिससे भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता उत्पन्न हो गई है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में चीन फैक्टर:** मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण 'मोती' के रूप में उभरा है।
  - मालदीव में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में भागीदार बन गया है।

अग्रिम मार्ग के रूप में कई उपायों पर विचार किया जा सकता है:

- **भारत में पर्यटन स्थलों की खोज करना और उनका विकास करना:** भारत की तटरेखा प्रसिद्ध और अनदेखे सागरीय तट स्थलों के मिश्रण से सुशोभित है। यह भारत के तट के सम्मुख अज्ञात और छिपे हुए खजानों की संभावनाओं का पता लगाने एवं विकसित करने के लिये उपयुक्त है।
  - संभावित गंतव्यों में गोवा, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थान शामिल हो सकते हैं।
- **स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक जुड़ाव:** वर्तमान में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये।
  - द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती, साझेदार सरकार की अपनी नीतियों के लिये जनता का समर्थन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करती है।
  - सरकार को प्रभावी सार्वजनिक कूटनीति में संलग्न होना चाहिये, जिसमें न केवल विदेशी सरकारों के साथ बल्कि अपने नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी संवाद करना शामिल है।
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिये अटूट समर्थन:** एक विकास भागीदार के रूप में, भारत को मालदीव को व्यापक-आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षेत्र में लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र संस्थानों को मज़बूत करने की उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में अटूट समर्थन प्रदान करना चाहिये।
- **सागरीय सुरक्षा को बढ़ाना:** भारत को हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा स्थापत्य में योगदान करते हुए महत्त्वपूर्ण सागरीय मार्गों में नेविगेशन की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रयासों में भाग लेना चाहिये।
- **संसाधनों को बढ़ाना:** भारत को मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिये। भारत, चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिये QUAD के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी को मज़बूत करने के लिये भारत की 'प्रथम पड़ोसी नीति (Neighbourhood First Policy)' और मालदीव के 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण के बीच समन्वित तालमेल आवश्यक है।

Q3. विदेश नीति के उद्देश्यों, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक हितों के संदर्भ में खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये भारत द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये खाड़ी देशों के महत्त्व को बताते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- खाड़ी देशों के लिये भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों और खाड़ी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं जो विदेश नीति के उद्देश्यों, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक हितों को बढ़ावा देते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले नौ मिलियन से अधिक भारतीयों के साथ यह आपसी विकास में योगदान देते हैं। खाड़ी क्षेत्र, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जिसकी भारत के लगभग एक-तिहाई तेल आयात और काफी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देश भारत के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं, जिनकी भारत के वैश्विक व्यापार में लगभग 15% हिस्सेदारी है तथा यहाँ से पर्याप्त रेमिटेंस प्राप्त होता है।

मुख्य भाग:

खाड़ी क्षेत्र में भारत की विदेश नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क जैसे विभिन्न मुद्दों पर खाड़ी देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और गांधी-ज़ायेद डिजिटल संग्रहालय जैसी पहलों के माध्यम से अपनी सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना।
- खाड़ी देशों के साथ अपनी व्यापार टोकरी में विविधता लाना, अधिक निवेश आकर्षित करना, बाज़ार पहुँच को सुविधाजनक बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके अपने आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करना।
- कॉन्सुलर सेवाएँ प्रदान करके, संकट के दौरान प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करके और उनकी शिकायतों और चिंताओं को दूर करके खाड़ी क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- विचार-विमर्श और कूटनीति का समर्थन करके, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करके खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और शांति में योगदान देना।

खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिये भारत द्वारा अपनाई गई कुछ रणनीतियाँ:

- **भारत और खाड़ी देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं के साथ यात्राओं को बढ़ावा देना।** उदाहरण के लिये प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 से सभी 6 GCC देशों का दौरा किया है। इसी तरह खाड़ी देशों के कई नेताओं ने भारत का दौरा किया है और वाइब्रेंट गुजरात समिट तथा रायसीना डायलॉग जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया है।
- **आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर नियमित परामर्श और सहयोग के लिये संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।** उदाहरण के लिये भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रणनीतिक साझेदारी, सभी GCC देशों के साथ संयुक्त आयोग, संयुक्त अरब अमीरात के साथ निवेश पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, कतर के साथ एक संयुक्त व्यापार परिषद तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) जैसी पहले की हैं।
- **भारत ने संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौसैनिक दौरे, खुफिया जानकारी साझा करने,** आतंकवाद-रोधी समन्वय और रक्षा उपकरणों की बिक्री करके खाड़ी देशों के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिये भारत ने ओमान के साथ नसीम अल बहर, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार, ओमान के साथ अल नागाह आदि नौसैनिक अभ्यास किये हैं।
- भारत ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत के साथ रक्षा सहयोग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक सहयोग,** पर्यटन के प्रसार, मीडिया संचार, संसदीय आदान-प्रदान आदि को सुविधाजनक बनाकर खाड़ी देशों के साथ अपने लोगों के संबंधों को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिये भारत ने GCC देशों में जाने वाले श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिये ई-माइग्रेट प्रणाली शुरू की है इसके साथ ही भारत आने वाले GCC नागरिकों के लिये ई-वीजा सुविधा, भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आदि की शुरुआत की है।

निष्कर्ष:

खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध इसकी विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक हैं जो देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के पूरक हैं। कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से इन संबंधों को मज़बूत करना, आपसी लाभ को बढ़ावा देना और खाड़ी क्षेत्र की समग्र स्थिरता और समृद्धि में योगदान देना भारत की प्रमुख प्राथमिकता रही है।

Q4. क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों और उनके साझा हितों का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में इनके संबंधों की क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता का उल्लेख कीजिये तथा इन संबंधों को और मज़बूत करने के सुझाव दीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो प्रमुख लोकतंत्र हैं जो विधि के शासन तथा स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करना, व्यापार और निवेश तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में भी इनके साझे उद्देश्य हैं।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2020 के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के द्वारा उन्नत किया गया है।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्त्व का विश्लेषण निम्नलिखित दृष्टिकोण से किया जा सकता है:

- **राजनीतिक और सामरिक:**
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया नियमों पर आधारित स्वतंत्र तथा संप्रभु हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बल देते हैं।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि पर केंद्रित एक सुरक्षा संवाद, क्वाड का गठन किया है।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान हेतु पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ASEAN क्षेत्रीय मंच, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रीय समूहों में भाग लेते हैं।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया संवादों, संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण, सूचना साझा करने और रक्षा प्रौद्योगिकी पर सहयोग के माध्यम से अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं।
  - इन्होंने डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट (DSTIA) जैसे महत्त्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

- **आर्थिक और व्यापारिक:**
  - वित्त वर्ष 2022 में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2022 में ECTA (आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता) लागू किया।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य वर्ष 2023 तक एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है, जिसका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक करना है, जिसमें महत्त्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करने और सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया है।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार में भूमिका निभाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कोयला, लौह अयस्क, सोना, तांबा, शिक्षा और पर्यटन सेवाएँ, कृषि उत्पाद, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
  - व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के संदर्भ में भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2011 से उन्मुख हैं। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना है।
- **सांस्कृतिक संबंध तथा लोगों के बीच समन्वय:**
  - ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के 9 लाख से अधिक लोगों के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जीवंत सांस्कृतिक संबंध हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में विदेशी भूमि पर जन्मे निवासियों के दूसरे सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, मीडिया और पर्यटन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब एक नए हाई-प्रोफाइल निकाय - ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र को स्थापित कर रही है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के उपाय:

- **कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना:** भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहन समझ और विश्वास को बढ़ावा देने के लिये नियमित उच्च-स्तरीय यात्राओं, विनिमय कार्यक्रमों और रणनीतिक संवादों का आयोजन किया जाना चाहिये।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना:** संयुक्त अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खुफिया जानकारी साझा करने सहित रक्षा संबंधों को मजबूत करने से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में योगदान मिलेगा।
- **व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देना:** द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिये भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) जैसी पहलों में तेजी लाई जानी चाहिये।
- **लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देना:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने से भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच समन्वय और सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करना:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग से नवाचार में योगदान मिलेगा।
- **संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना:** संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं एवं अकादमिक सहयोग (जैसे कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और नवीकरणीय ऊर्जा) को प्रोत्साहन देने से नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष:

साझा रणनीतिक हितों और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का काफी महत्त्व है। कूटनीतिक समन्वय, रक्षा सहयोग, व्यापार को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के माध्यम से इस साझेदारी को मज़बूत करने से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलने के साथ आम चुनौतियों का समाधान होगा। इस साझेदारी का लाभ उठाकर एवं व्यापक रणनीतिक साझेदारी का अनुसरण करके, भारत और ऑस्ट्रेलिया अधिक समृद्ध विश्व के निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं।

Q5. प्रश्न. हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित भारत की चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं? भारत के रणनीतिक हितों को उन्नत करने में क्वाड (QUAD) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित भारत की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये।
- इस क्षेत्र में क्वाड की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक विशाल समुद्री क्षेत्र है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक विस्तारित है, जिसमें हिंद महासागर और उसके आस-पास के समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। यह भू-रणनीतिक महत्त्व का क्षेत्र है क्योंकि यह क्षेत्र विश्व की आधी से अधिक आबादी, व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसी कई उभरती और स्थापित शक्तियों के हित निहित हैं।

- लंबी तटरेखा के साथ भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्य भाग:

- **चुनौतियाँ:**
  - दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के आक्रामक और विस्तारवादी व्यवहार के कारण इस क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और अन्य देशों की संप्रभुता के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आम समझ और समन्वय का अभाव है जिससे क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण में बाधा होती है।
  - आतंकवाद, समुद्री डकैती, साइबर हमले, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ और महामारी जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के उदय से इस क्षेत्र के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच असमान विकास से कुछ वर्गों में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिला है।
- **अवसर:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ाने की क्षमता है (विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में)।
  - नियम-आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षीय तंत्र को मजबूत करने का अवसर है।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी छवि और प्रभाव को बढ़ाने के लिये भारत के पास लोकतंत्र, विविधता, संस्कृति और विकास सहायता के रूप में अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने का अवसर है।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कुछ आम चुनौतियों को हल करने के लिये अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करने की संभावना है।
- **Quad की भूमिका:**
  - क्वाड चार लोकतांत्रिक देशों (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) का एक अनौपचारिक समूह है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान हितों और मूल्यों को साझा करते हैं।
  - चीन की बढ़ती आक्रामकता और क्षेत्रीय व्यवस्था की चुनौतियों के आलोक में एक दशक के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2017 में क्वाड को मज़बूत किया गया था।
  - क्वाड का उद्देश्य संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सम्मान के आधार पर एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखना है।
  - क्वाड समूह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढाँचे के विकास, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, वैक्सीन कूटनीति, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, शिक्षा जैसे विभिन्न डोमेन पर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जैसे:
  - क्षेत्रीय मुद्दों पर अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ बातचीत और समन्वय के लिये एक मंच प्रदान करना
  - इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व और आक्रामकता का प्रतिरोध करना
  - इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार करना
  - विभिन्न क्षेत्रों में भारत की क्षमता निर्माण और लचीलेपन का समर्थन करना
  - वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना

निष्कर्ष:

क्वाड भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है जो भारत को इस क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हालाँकि इसे एक विशिष्ट या विरोधी गुट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि एक खुले, लचीले, सहकारी, परामर्शी, रचनात्मक, विश्वसनीय, सुसंगत और आत्मविश्वासपूर्ण तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिये जो विविधता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित हो।

Q6. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को NATO+ में शामिल नहीं होना चाहिये? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: NATO+ समूह के बारे में संक्षिप्त रूप से बताने के साथ इसमें शामिल होने के फायदों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग: उन कारणों पर चर्चा कीजिये जिनसे भारत को NATO+ समूह में शामिल नहीं होना चाहिये।
- निष्कर्ष: आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

NATO+ के तहत उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) और पाँच देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल एवं दक्षिण

कोरिया शामिल हैं। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। NATO+ में सदस्यता से सदस्यों को कई फायदे मिलते हैं जैसे खुफिया जानकारी साझा करना, अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त होना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिलना।

मुख्य भाग:

इसके कई फायदे होने के बावजूद, भारत को निम्नलिखित कारणों से NATO+ में शामिल नहीं होना चाहिये:

- **कूटनीतिक स्वायत्तता में कमी आना:** भारत ने हमेशा से ही अपने विदेश संबंधों में गुटनिरपेक्षता और कूटनीतिक स्वायत्तता की नीति का पालन किया है। NATO+ में शामिल होने से भारत के हितों एवं मूल्यों की स्वतंत्रता से समझौता होगा, क्योंकि इससे इस गठबंधन के सामूहिक निर्णयों और कार्यों से सहमत होना होगा।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** भारत अपनी जटिल सुरक्षा चुनौतियों के साथ भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। NATO+ में शामिल होने से पड़ोसी देशों (विशेषकर चीन) के साथ इसके संबंध जटिल हो सकते हैं जिससे तनाव बढ़ने के साथ क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **विविध सुरक्षा साझेदारियों पर प्रभाव:** भारत का विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारियों का एक लंबा इतिहास है। NATO+ में शामिल होने से यह धारणा बन सकती है कि भारत पश्चिमी शक्तियों के साथ अधिक निकटता से जुड़ रहा है, जिससे संभावित रूप से रूस जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण साझेदारों के साथ इसके रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं।
- **इससे भारत अन्य संघर्षों में उलझ सकता है:** इससे भारत को वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 का भी पालन करना होगा, जिसमें कहा गया है कि इसके किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यह भारत को ऐसे संघर्षों में उलझा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से इसकी सुरक्षा या हितों से संबंधित नहीं हैं।
- **पारस्परिक लाभ का अभाव:** अमेरिका और जापान को छोड़कर भारत NATO+ के अधिकांश सदस्यों के साथ बहुत अधिक समानता नहीं रखता है। भारत की सुरक्षा चिंताएँ और प्राथमिकताएँ यूरोप, इज़राइल या दक्षिण कोरिया से भिन्न हैं।
- **यह भारत के लिये बहुत अधिक सार्थक नहीं हो सकता है:** पहले से ही इनमें से कई देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रक्षा साझेदारी है जैसे कि क्वाड, मालाबार अभ्यास और रक्षा व्यापार समझौते। NATO+ में शामिल होने से भारत के मौजूदा रक्षा सहयोग में कोई खास उन्नति नहीं होगी।

निष्कर्ष:

भारत को अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिये और अपनी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के रुख को बनाए रखना चाहिये। कुछ विशिष्ट मुद्दों पर NATO+ सदस्यों का सहयोग मूल्यवान है लेकिन इसकी पूर्ण सदस्यता से भारत को लाभ की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बजाय भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों के आधार पर स्थितियों के अनुसार NATO+ के सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिये।

Q7. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिये। भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ किस प्रकार उठा सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष उपलब्ध चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सामरिक और आर्थिक हितों की व्याख्या कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

"हिंद-प्रशांत" शब्द दो महासागरों के परस्पर समन्वय से संबंधित है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में भारत की भूमिका निर्णायक है। चीन के उदय, शक्ति असंतुलन एवं समुद्री विवादों के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र ने विभिन्न देशों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों ने स्थिरता बनाए रखने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को आकार देने में गहरी रुचि दिखाई है।

मुख्य भाग:

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा:**
  - इस क्षेत्र में प्रभाव और नियंत्रण के लिये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, जिससे संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में भारत के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **समुद्री सुरक्षा:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र से महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग गुजरते हैं जिससे भारत को समुद्री डकैती, आतंकवाद और क्षेत्रीय विवादों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इससे समुद्री सुरक्षा एवं नेविगेशन की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

- **आर्थिक एकीकरण:**
  - जटिल व्यापार समझौतों, नियामक बाधाओं और देशों के बीच अलग-अलग आर्थिक प्रणालियों के कारण भारत को इस क्षेत्र के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:**
  - कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे की कमी से भारत को आर्थिक अवसरों का फायदा उठाने में चुनौती उत्पन्न होती है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष उपलब्ध अवसर:

- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - भारत के पास नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिये इस क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने के अवसर हैं।
- **आर्थिक समन्वय:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक आर्थिक संभावनाएँ हैं। भारत क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, निवेश और व्यापार को बढ़ावा देकर एवं बुनियादी ढाँचे की विकास परियोजनाओं में संलग्न होकर इसका लाभ उठा सकता है।
- **सुरक्षा सहयोग:**
  - क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोगात्मक सुरक्षा पहल और सैन्य अभ्यास से भारत के सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने के साथ साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमताओं में मज़बूती आती है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध सॉफ्ट पावर कूटनीति के अवसर प्रदान करते हैं, जो लोगों के बीच आदान-प्रदान, सांस्कृतिक सहयोग और सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों को सुविधाजनक बनाते हैं।

रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ उठाना:

- **क्षेत्रीय साझेदारी को मज़बूत बनाना:**
  - क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारियों को मज़बूत करने के साथ बहुपक्षीय मंचों में शामिल होने से भारत अपने हितों पर जोर देने के साथ क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकता है।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:**
  - क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश करके भारत कनेक्टिविटी, व्यापार सुविधा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत के साथ इस क्षेत्र के अन्य देशों को लाभ होगा।
- **व्यापार और निवेश सुविधा:**
  - भारत, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेकर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देकर अपने आर्थिक हितों का लाभ उठा सकता है।
- **रक्षा और समुद्री सहयोग:**
  - समुद्री सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने और साझेदार देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने से इस क्षेत्र में समुद्री स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत की क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत के समक्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियाँ और अवसर दोनों ही हैं। क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़कर, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाकर, सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर और क्षेत्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकता है। संतुलित दृष्टिकोण (जो क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता हो) से न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की उभरती गतिशीलता में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक के रूप में भारत की स्थिति को भी मज़बूती मिलेगी।

Q8. G20 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर चर्चा कीजिये? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- G20 और इसमें अफ्रीका के शामिल होने के संबंध में संक्षेप में लिखकर अपना उत्तर दीजिये।
- अफ्रीका को G20 में शामिल करने से G20 और अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

G20, 19 देशों और यूरोपीय संघ के बीच वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग का एक मंच है। इसकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80%, वैश्विक व्यापार में 75% और वैश्विक जनसंख्या में 60% की हिस्सेदारी है। हाल ही में दिल्ली में 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देशों के एक अंतर-सरकारी संगठन, अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में सूची में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया।

इस कदम का अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य भाग

अफ्रीका के लिये G20 में शामिल होने से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे:

- यह अफ्रीका को उन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये परिप्रेक्ष्य दे सकता है जो उसके हितों को प्रभावित करते हैं जैसे- व्यापार, ऋण राहत, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रवासन आदि।
- यह बाज़ारों, निवेशों, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे आदि तक पहुँच की सुविधा प्रदान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- यह वैश्विक मामलों पर एक साझा एजेंडा और स्थिति को बढ़ावा देकर अफ्रीकी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग एवं एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है।
- यह अफ्रीका को विकासात्मक चुनौतियों से निपटने एवं सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य G20 सदस्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों से सीखने में सक्षम बना सकता है।

हालाँकि G20 में शामिल होने से अफ्रीका के लिये कुछ चुनौतियाँ और चिंताएँ भी पैदा होती हैं, जैसे:

- इससे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं में योगदान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानकों का अनुपालन करने के लिये अफ्रीका की ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे अफ्रीका बाहरी दबावों और प्रभावों के संपर्क में आ सकता है जो उसकी प्राथमिकताओं तथा मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
- इससे वैश्विक मुद्दों पर भिन्न हितों और दृष्टिकोणों के कारण अफ्रीकी देशों के बीच आंतरिक विभाजन तथा संघर्ष पैदा हो सकता है।

G20 में अफ्रीका के शामिल होने के विश्व पर भी कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे:

- यह विश्व के गरीब और सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र के विचारों तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करके G20 की विविधता एवं वैधता को समृद्ध कर सकता है।
- यह गरीबी, असमानता, आतंकवाद, महामारी आदि से निपटने जैसी आम चुनौतियों और अवसरों पर G20 तथा अफ्रीका के बीच आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
- यह विकसित और विकासशील दोनों देशों से संसाधन जुटाकर सतत् विकास एजेंडा, 2030 एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकता है।

निष्कर्ष

इसलिये यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अफ्रीका का G20 में शामिल होना एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण विकास है जिसमें अफ्रीका तथा विश्व के लिये अवसर एवं चुनौतियाँ दोनों हैं। इस नई साझेदारी के लाभों को अधिकतम करने व चुनौतियों को कम करने हेतु सभी हितधारकों के संतुलित और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

Q9. भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा एवं विदेश नीति पर चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- इज़राइल-हमास संघर्ष का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत पर इस संघर्ष के संभावित प्रभावों को बताते हुए इसके समाधान हेतु कुछ उपायों पर भी चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा एवं विदेश नीति के संदर्भ में व्यापक प्रभाव हैं। भारत के इज़राइल एवं फिलिस्तीन के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान तथा तुर्की के साथ मज़बूत संबंध हैं। भारत अपने कुल उपभोग में से 80% तेल हेतु आयात पर निर्भर रहता है, इस मांग को पूरा करने के लिये भारत तेल आयात के लिये मध्य पूर्व पर बहुत अधिक निर्भर है।

मुख्य भाग:

भारत पर इस संघर्ष के कुछ संभावित प्रभाव:

- **व्यापार संबंध:** इस संघर्ष के बढ़ने से इज़राइल के साथ भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है (खासकर रक्षा उपकरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में)। इज़राइल, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश है और इस व्यापार संबंध में कोई भी व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है।
- **कूटनीतिक चुनौतियाँ:** भारत ने परंपरागत रूप से इज़राइल और अरब देशों के प्रति अपनी विदेश नीति में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है। यदि यह संघर्ष बढ़ता है और अन्य अरब देश इसमें शामिल होते हैं तो इससे भारत के लिये राजनयिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। इससे भारत को इज़राइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अधिक जटिल हो सकता है।
- **मध्य पूर्व के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध:** मध्य पूर्व के साथ भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों का महत्त्व बढ़ गया है

(खासकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी पहल के संदर्भ में)। यदि यह संघर्ष तीव्र होता है और इसमें हिजबुल्लाह एवं ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय हितधारक शामिल होते हैं, तो इससे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है।

- **ऊर्जा आपूर्ति:** पश्चिम एशियाई क्षेत्र भारत के लिये ऊर्जा आयात का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र की स्थिरता में कोई भी व्यवधान संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे आर्थिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **भारतीय प्रवासियों का कल्याण:** भारत का बड़ा प्रवासी समूह विभिन्न मध्य पूर्वी देशों में कार्यरत है। यदि यह संघर्ष बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

भारत को अपनी विदेश नीति में विभिन्न कारकों एवं हितों पर विचार करना चाहिये। हालाँकि इस संदर्भ में कुछ संभावित सुझाव निम्नलिखित हैं:

- भारत को पहले की तरह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, इज़राइल तथा फिलिस्तीन के संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन को बरकरार रखना चाहिये।
- भारत को अमेरिका, सऊदी अरब एवं यूएई जैसे देशों के साथ सुरक्षा, विकास के क्षेत्रों में संबंधों को मज़बूत करने के लिये रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखना चाहिये।
- भारत, शांति को बढ़ावा देने, बातचीत को प्रोत्साहित करने और गाजा, इज़राइल तथा उसके प्रवासियों को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु अपने राजनयिक प्रभाव का लाभ उठा सकता है।
- भारत को इस संघर्ष को हल करने के लिये मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी पर विचार करना चाहिये तथा पश्चिम एशियाई शांति को बढ़ावा देने के लिये अपनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थिति एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व जैसे दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष:

अत: इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान एवं इस क्षेत्र में स्थिरता, भारत के हित में है। भारत को अपने कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करना चाहिये। भारत को मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने एवं आगे की हिंसा को रोकने के लिये अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ भी समन्वय करना चाहिये।

Q10. दुनिया भर में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयामों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की आवश्यकता है जो कि के इसके अस्तित्व में आने के बाद से ही लंबित रहे हैं। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

दृष्टिकोण

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करते हुये प्रारंभ कीजिये।
- पिछले कुछ दशकों में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक बदलावों के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता कैसे है? वर्णन कीजिये।
- आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के प्रमुख कारकों और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिये।

परिचय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख संगठन है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालाँकि,संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढाँचा और संरचना इसकी स्थापना के पश्चात काफी हद तक अपरिवर्तित रही है,और यह आज के विश्व की जटिल चुनौतियों का समाधान करने में असक्षम प्रतीत होती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्माण करते समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व को ध्यान में रखा गया था, लेकिन आज का भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बहुत अलग है।

विषयवस्तु

भूराजनीतिक गतिशीलता बदलना:

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संरचना: UNSC की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और इसकी संरचना उस युग की शक्ति गतिशीलता को दर्शाती है, जिसमें P5 (स्थायी सदस्य) संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम हैं। वीटो शक्तियाँ धारण करना। आज की दुनिया उस समय की द्विध्रुवीय शक्ति संरचना से काफी अलग है।

नई शक्तियों का उद्भव: भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसी उभरती हुई शक्तियाँ, जिन्हें अक्सर सयुंक्त रूप से G4 कहा जाता है, इन देशो ने वैश्विक मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं और इन देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव भी है, फिर भी ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर हैं।

आर्थिक केंद्रों में बदलाव: विश्व अर्थव्यवस्था परिदृश्य बदल गया है, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ केंद्र में आ गई हैं। विशेष रूप से चीन और भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है और वर्तमान में वे विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। यह बदलाव वैश्विक शासन में अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है

बदलते गठबंधन और संघर्ष: नए सुरक्षा खतरों, गैर-राज्य अभिकर्ता का उद्भव, और गठबंधनों और संघर्षों में बदलाव इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये एक अधिक लचीले और प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

बदलते सामाजिक-आर्थिक आयाम:

वैश्वीकरण: वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व को पहले से कई अधिक आपस में जोड़ दिया है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे सीमाओं से परे हैं, जिनके लिये व्यापक और समन्वित वैश्विक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर वैश्विक मुद्दों में से एक बनकर उभरा है। इसके निहितार्थ पर्यावरणीय चिंताओं से अलग है,और शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिससे यह एक ऐसा विषय बन जाता है जिस पर यूएनएससी का ध्यान चाहिये।

महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा: COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य संकटों से निपटने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। स्वास्थ्य सुरक्षा वैश्विक सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गई है और इसके लिये यूएनएससी की भागीदारी की आवश्यकता है।

मानवाधिकार और मानवीय संकट: मानवाधिकारों के हनन और मानवीय संकटों की बढ़ती घटनाएँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप की मांग करती हैं। एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन मुद्दों पर विविध दृष्टिकोणों का बेहतर प्रतिनिधित्व करना चाहिये। हाल के उदाहरण म्यांमार की जुंटा सरकार और अफ्रीका में सूडान आदि में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में असमर्थ रहना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता हैं।

UNSC सुधारों की आवश्यकता:

समावेशिता और वैधता के लिये: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना को अलोकतांत्रिक और वैधता की कमी के रूप में देखा जाता है। सुधारों का लक्ष्य ऐसे अधिक देशों को शामिल करना होना चाहिये जो समकालीन वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाते हों। P5 देशों, विशेष रूप से रूस और चीन ने लगातार ऐसे किसी भी सुधार का विरोध किया है जो उनकी वीटो शक्तियों को कमजोर कर सकता है। इसने सुधार वार्ता की प्रगति में एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है।

न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिये: G4 देशों और कुछ अन्य देशों ने स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किये जाने के लिये तर्क दिया है। वे अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं जो विश्व में बदलते शक्ति संबंधों को प्रतिबिंबित करता है।

प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये: एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी होना चाहिये। सदस्यता बढ़ाकर और वीटो शक्ति हटाकर एक अधिक सहयोगी और उत्तरदायी संगठन को बढ़ावा मिल सकता है। 193 सदस्य देशों के बीच सुधारों पर आम सहमति तक पहुंचना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है,क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी प्राथमिकताएँ और मांगें होती हैं।

वैश्विक शासन के लिये: जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और मानवीय मुद्दों जैसे वैश्विक शासन मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो वैश्विक शासन मानकों को स्थापित करने में भूमिका निभा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के ऐतिहासिक संदर्भ ने कुछ क्षेत्रों में बदलावों के प्रति प्रतिरोध पैदा किया है।

भारत का परिप्रेक्ष्य:

स्थायी सदस्यता: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये लगातार अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। इसका तर्क है कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिये वह स्थायी सदस्यता का हकदार है, जो वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करेगा।

शांति स्थापना में योगदान: वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुये भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारत का मानना है कि, यह स्थायी सदस्यता के लिये उसकी उपयुक्तता को दर्शाता है।

क्षेत्रीय प्रमुखता: भारत दक्षिण एशिया का एक महत्त्वपूर्ण देश और एशियाई महाद्वीप की एक प्रमुख शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट इस क्षेत्रीय प्रमुखता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगी।

बहुपक्षीय कूटनीति: भारत की गुटनिरपेक्षता की परंपरा और बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता UNSC सुधारों के अपने लक्ष्य के साथ संरेखित हैं, जो सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने के महत्त्व पर जोर देती है।

वीटो शक्ति: भारत, अन्य देशों के साथ,वीटो शक्ति को सीमित करने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करता है। UNSC की वर्तमान स्वरूप में वीटो के कारण इसकी कार्यक्षमता अक्सर बाधित होती रही है।

निष्कर्ष

विश्व भर में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयाम वास्तव में गहरे बदलावों से गुजर रहे हैं। ये बदलाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक शासन संरचनाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं, जिसमें अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद,समकालीन दुनिया को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये सुधार की आवश्यकता है। सुधारों के प्रयास बाधाओं की दृढ़ता के कारण बाधित हुये हैं, जिनमें से प्रमुख P5 देशों की सुधरों में अनिच्छा है। हालाँकि, परिवर्तन की तीव्र आवश्यकता की पहचान और भारत जैसी उभरती शक्तियों की वकालत के साथ, यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक अधिक प्रतिनिधि और कार्यात्मक UNSC की गारंटी के लिये अपने प्रयास जारी रखने चाहिये।

Q11. संयुक्त राष्ट्र (UN) की उसके सराहनीय कार्यों के बावजूद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफलता के लिये अक्सर आलोचना की जाती है। इसके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये कुछ सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- अपने उत्तर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के संक्षिप्त परिचय से कीजिये और कुछ उदाहरणों का उल्लेख कीजिये, जहाँ इसकी विफलता के लिये इसकी आलोचना की गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमाओं पर चर्चा कीजिये।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार के लिये कुछ सुधारों का सुझाव दीजिये।
- संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

संयुक्त राष्ट्र (UN) दुनिया का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली बहुपक्षीय संगठन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र को सीरिया, यमन, म्याँमार, लीबिया और दक्षिण सूडान जैसे हाल ही के कुछ सबसे हिंसक तथा जटिल संघर्षों को रोकने या हल करने में विफलता के कारण कई चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है।

मुख्य भाग

संयुक्त राष्ट्र के समक्ष कुछ चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और आम सहमति का अभाव:** स्थायी सदस्य (P5) जिनके पास वीटो शक्ति है, वे अक्सर मानवीय परिणामों या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की परवाह किये बिना अपने स्वयं के हितों या सहयोगियों की रक्षा के लिये अपने वीटो का गलत उपयोग करते हैं।
- उदाहरण के लिये रूस एवं चीन ने सीरिया को लेकर उन प्रस्तावों को बार-बार अवरुद्ध किया है जो प्रतिबंध लगाते हैं या सैन्य हस्तक्षेप को अधिकृत करते हैं।
- **पुराना और प्रतिनिधित्व विहीन:** UNSC ने 1965 के बाद से अपनी सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया जैसे कई क्षेत्रों का UNSC में प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल भी नहीं है।
- इसके अलावा भारत जैसी कुछ उभरती शक्तियाँ दशकों से UNSC में स्थायी सीट की मांग कर रही हैं।
- **शांति स्थापना से संबंधित मुद्दे:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान अपर्याप्त संसाधनों, शत्रुतापूर्ण वातावरण, मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा सदस्य राज्य के स्वैच्छिक योगदान पर वित्तपोषण निर्भरता सहित कई चुनौतियों से ग्रस्त हैं।
- **कमज़ोर समन्वय और सुसंगतता:** संयुक्त राष्ट्र एक जटिल संरचना है जिसमें कभी-कभी विभिन्न संस्थाओं के बीच दोहराव, ओवरलैप या प्रतिस्पर्द्धा देखी जाती है।
- उदाहरण के लिये एक ही संघर्ष के लिये कई मध्यस्थ या दूत होते हैं, जैसे लीबिया या यमन में।

21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु कुछ संभावित सुधार:

- **सुरक्षा परिषद में सुधार:** सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधिक बनाने और P5 वीटो शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिये इसके पुनर्गठन पर विचार करना। इसमें अधिक क्षेत्रों तथा भारत जैसी उभरती शक्तियों को शामिल करने के लिये अपनी सदस्यता का विस्तार करना, वीटो शक्ति को सीमित करना या समाप्त करना, इसके कामकाज़ के तरीकों एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा इसके निरीक्षण व मूल्यांकन तंत्र को मज़बूत करना शामिल हो सकता है।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को मज़बूत करना:** इसमें उनके वित्तपोषण और संसाधनों, प्रशिक्षण और उपकरणों में वृद्धि,, स्पष्ट तथा यथार्थवादी अधिदेश विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
- **समन्वय और सुसंगतता में सुधार:** इसमें उनके अधिदेशों और संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना, उनके संचार एवं सूचना-साझाकरण को बढ़ाना, सहयोग तथा नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ उनकी रणनीतियों एवं कार्यों को संरेखित करना शामिल हो सकता है।
- **नागरिक समाज की भागीदारी:** शांति निर्माण एवं संघर्ष समाधान प्रयासों में नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी अभिनेताओं को शामिल करना। वे बहुमूल्य स्थानीय ज्ञान एवं ज़मीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **आधुनिक तकनीक को अपनाना:** इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये रणनीतियाँ और क्षमताएँ विकसित करके साइबर युद्ध, आतंकवाद एवं पर्यावरणीय संकटों सहित संघर्षों की बदलती प्रकृति को पहचानना और उनके अनुकूल बनाना।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र ने पिछले 75 वर्षों में वैश्विक शांति और सुरक्षा में

महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। हालाँकि इसे 21वीं सदी की नई चुनौतियों और वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की भी ज़रूरत है। इन सुधारों को लागू करके संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों और दुनिया भर के लोगों के लिये अधिक प्रभावी, कुशल, विश्वसनीय और प्रासंगिक बन सकता है।

Q12. भारत-मालदीव संबंधों के महत्त्व का आकलन कीजिये। इस द्विपक्षीय संबंध में निहित चुनौतियों की पहचान करते हुए उन्हें दूर करने की रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- भारत-मालदीव संबंधों के महत्त्व का वर्णन कीजिये।
- इस द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों पर का वर्णन कीजिये।
- द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिये रणनीतियाँ सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत और मालदीव प्राचीन समय से जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं तथा घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण एवं बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं। मालदीव 'प्रथम पड़ोसी नीति (Neighbourhood First Policy)' के तहत भारत सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है।

मुख्य भाग:

भारत-मालदीव संबंधों का महत्त्व:

- **सामरिक महत्त्व:** मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिंद महासागर से होकर गुज़रने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में इसकी स्थिति इसे भारत के लिये महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।
- **आर्थिक व्यस्तताएँ:** भारत मालदीव में पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिये पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है।
- वर्ष 2023 में भारत लगभग 11.8% बाज़ार की हिस्सेदारी के साथ मालदीव में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक (2,09,198) भेजने में शीर्ष पर रहा।
- **व्यापार समझौते:** भारत वर्ष 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार कर गया था।
- **बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:** अगस्त, 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के रूप में कार्यरत है।
- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** भारत और मालदीव प्राचीन समय से जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध साझा करते हैं। मानवविज्ञानियों के अनुसार, धिवेही (मालदीवियन भाषा) की उत्पत्ति संस्कृत और पाली से हुई है।
- मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 27,000 है। मालदीव में अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय नागरिक हैं।

भारत-मालदीव संबंधों में प्रमुख मुद्दे:

- **चल रहा लक्षद्वीप मुद्दा:** यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के तीन उप मंत्रियों ने लक्षद्वीप की हालिया यात्रा के बाद भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं।
- इस विवाद के कारण कई भारतीयों को मालदीव में अपनी छुट्टियों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। यह घटना क्षेत्र में अतिराष्ट्रवाद के संकट को रेखांकित करती है।
- **मालदीव में इंडिया आउट अभियान:** 'इंडिया आउट' पहल का उद्देश्य मालदीव में भारत के निवेश, दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और क्षेत्र में भारत के सुरक्षा प्रावधानों के बारे में संदेह उत्पन्न करके दुश्मनी को बढ़ाना है।
- **संप्रभुता और सुरक्षा दुविधा:** मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जो प्रमुख वैश्विक अभिकर्त्ताओं से प्रभावित क्षेत्रीय सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है।
- मालदीव में विपक्ष दृढ़ता के साथ यह महसूस करता है, कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिये खतरा है।
- **हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को रद्द करना:** मालदीव को आशंका है कि भारत हाइड्रोग्राफिक गतिविधि के माध्यम से खुफिया जानकारी संग्रह कर सकता है।
- मालदीव ने अपने जल क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिये भारत के साथ समझौते को रद्द करने का हालिया निर्णय लिया है, जिससे भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता उत्पन्न हो गई है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में चीन फैक्टर:** मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण 'मोती' के रूप में उभरा है।
- मालदीव में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में भागीदार बन गया है।

अग्रिम मार्ग के रूप में कई उपायों पर विचार किया जा सकता है:

- **भारत में पर्यटन स्थलों की खोज करना और उनका विकास करना:** भारत की तटरेखा प्रसिद्ध और अनदेखे सागरीय तट स्थलों के मिश्रण से सुशोभित है। यह भारत के तट के सम्मुख अज्ञात और छिपे हुए खजानों की संभावनाओं का पता लगाने एवं विकसित करने के लिये उपयुक्त है।
- संभावित गंतव्यों में गोवा, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थान शामिल हो सकते हैं।
- **स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक जुड़ाव:** वर्तमान में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये।
- द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती, साझेदार सरकार की अपनी नीतियों के लिये जनता का समर्थन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करती है।
- सरकार को प्रभावी सार्वजनिक कूटनीति में संलग्न होना चाहिये, जिसमें न केवल विदेशी सरकारों के साथ बल्कि अपने नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी संवाद करना शामिल है।
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिये अटूट समर्थन:** एक विकास भागीदार के रूप में, भारत को मालदीव को व्यापक-आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षेत्र में लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र संस्थानों को मज़बूत करने की उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में अटूट समर्थन प्रदान करना चाहिये।
- **सागरीय सुरक्षा को बढ़ाना:** भारत को हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा स्थापत्य में योगदान करते हुए महत्त्वपूर्ण सागरीय मार्गों में नेविगेशन की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रयासों में भाग लेना चाहिये।
- **संसाधनों को बढ़ाना:** भारत को मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिये। भारत, चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिये QUAD के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी को मज़बूत करने के लिये भारत की 'प्रथम पड़ोसी नीति (Neighbourhood First Policy)' और मालदीव के 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण के बीच समन्वित तालमेल आवश्यक है।

Q13. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलताओं एवं सीमाओं का परीक्षण कीजिये। बदलती वैश्विक गतिशीलता के आलोक में WTO के महत्त्व को बनाए रखने हेतु रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलताओं एवं सीमाओं पर चर्चा कीजिये।
- बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच WTO के महत्त्व को बनाए रखने हेतु रणनीतियाँ बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) का 13वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न देशों के मंत्रियों ने विकास के स्तरों और अलग-अलग भू-राजनीतिक दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला—जिनमें खाद्य सुरक्षा, ई-कॉमर्स, मात्सियिकी सब्सिडी, WTO सुधार, सेवाओं के घरेलू विनियमन एवं निवेश को सुविधाजनक बनाने सहित विभिन्न विषय शामिल थे-को संबोधित करने के लिये बैठकें कीं।

मुख्य भाग:

WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **सदस्यता ग्रहण:**
  - भागीदार मंत्रियों ने दो सबसे कम विकसित देशों- कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते के लिये विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता का समर्थन किया। उनके शामिल होने के साथ इससे संगठन की सदस्य संख्या अब 166 हो गई है, जो विश्व व्यापार के 98% भाग का प्रतिनिधित्व करती है।
- **विचार-विमर्श और समझौता वार्ता कार्यकरण में सुधार:**
  - MC13 में मंत्रियों ने निम्नलिखित विषयों में हुए कार्यों का स्वागत किया:
  - WTO परिषदों, समितियों और वार्ता समूहों की कार्यप्रणाली में सुधार;
  - संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना; तथा
  - विश्व व्यापार संगठन के कार्य में सदस्यों की भागीदारी को सुगम बनाना।
  - उन्होंने अधिकारियों को 'रिफॉर्म बाय डूइंग' (reform by doing) प्रक्रिया को जारी रखने और 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) में इसकी प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

- MC13 में मंत्रियों ने वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिये सुलभ एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली प्राप्त कर लेने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

- **ई-कॉमर्स:**
  - MC13 में मंत्रियों ने ई-कॉमर्स मोरेटोरियम (e-commerce moratorium) को MC14 या 31 मार्च, 2026 तक (इनमें जो भी पहले हो) नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।
  - ट्रिप्स गैर-उल्लंघन और परिदृश्य शिकायतें (TRIPS Non-Violation and Situation Complaints):
  - एक निर्णय में जिसे प्राय: ई-कॉमर्स मोरेटोरियम (e-commerce moratorium) से जोड़ा गया है, मंत्रियों ने ट्रिप्स समझौते (TRIPS Agreement) के तहत तथाकथित 'गैर-उल्लंघन' और 'परिदृश्य' शिकायतों पर मोरेटोरियम का विस्तार करने का भी निर्णय लिया।
- **विशेष एवं विभेदक उपचार:**
  - मंत्रियों ने 'विशेष एवं विभेदक उपचार' (Special and Differential Treatment- S&DT) उपबंधों के उपयोग में सुधार करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से 'व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते' (Agreement on Technical Barriers to Trade) और 'स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों पर समझौते' (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) के मामले में।
- **बहुपक्षीय समझौते एवं पहलें:**
  - WTO की बहुपक्षीय पहलें (Plurilateral Initiatives) संगठन में आयोजित वे विचार-विमर्श हैं जिनमें केवल सदस्यों का एक उपसमूह भागीदारी करता है। वे नए नियमों के निर्माण, टैरिफ के पारस्परिक उदारीकरण को सुनिश्चित करने, एक नई प्रक्रिया का निर्माण करने या बातचीत शुरू करने पर लक्षित हो सकते हैं।
  - MC13 में ऐसे कई बहुपक्षीय पहलों पर समझौते संपन्न हो गए या उन्होंने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने कार्य के परिणामों पर रिपोर्ट सौंपी।
  - इनमें एक महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल विकास के लिये निवेश सुविधा (Investment Facilitation for Development- IFD) से संबंधित है।
- **सेवाओं का घरेलू विनियमन:**
  - घरेलू विनियमन के लिये नए विषयों को लागू करने और उन्हें WTO ढाँचे में एकीकृत करने पर हुए समझौते को MC13 की एक व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया है।
  - इन विषयों को नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर सेवाओं में व्यापार को सुगम बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **संवहनीयता-संबंधी पहल:**
  - सदस्य देश संवहनीयता-संबंधी पहलों (Sustainability-Related Initiatives) की एक श्रृंखला पर कार्य करने के लिये विभिन्न समूहों के रूप में एक साथ आए हैं।
  - 78 सदस्यों की एक पहल 'प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्लास्टिक व्यापार पर संवाद' (Dialogue on Plastics Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade) ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिये व्यापार से संबंधित उपायों एवं नीतियों की पहचान की।
  - 48 सदस्यों ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार की दिशा में प्रगति पर रिपोर्ट सौंपी।
- **मात्स्यिकी सब्सिडी:**
  - MC12 में सदस्यों ने मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता (Agreement on Fisheries Subsidies-AFS) संपन्न किया, जो अवैध, असूचित एवं अनियमित (illegal, unreported, and unregulated-IUU) मत्स्य ग्रहण या ओवरफिश्ड स्टॉक के मत्स्य ग्रहण से संलग्न निकायों को सब्सिडी अनुदान प्रदान करने या इसे बनाए रखने पर रोक लगाता है।
  - MC13 में मंत्रियों ने AFS के लागू होने की दिशा में पिछले 20 माहों में हुई प्रगति का स्वागत किया। 1 मार्च, 2024 तक 71 सदस्यों ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है।

वर्तमान में कौन-सी चुनौतियाँ WTO की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रही हैं?

- **बहुपक्षीयता का क्षरण:**
  - हाल के वर्षों में व्यापार विवादों में वृद्धि और एकतरफा व्यापार कार्रवाइयों के उभार के साथ बहुपक्षीयता (multilateralism) का उल्लेखनीय क्षरण हुआ है।
  - यह प्रवृत्ति व्यापार संघर्षों को सुलझाने और व्यापार समझौतों पर वार्ता के सार्थक मंच के रूप में WTO की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है।
  - MC13 मात्स्यिकी सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रगति करने में विफल रहा, जो 166 सदस्य देशों के बीच गंभीर मतभेद को दर्शाता है।

- **संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध:**
  - टैरिफ, कोटा एवं अन्य व्यापार बाधाओं का प्रसार मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है तथा नियम-आधारित व्यापार प्रणाली के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को तनावपूर्ण बना दिया है तथा WTO की मध्यस्थता ने ऐसे संघर्षों को हल कर सकने की क्षमता को चुनौती दी।
- **विवाद निपटान तंत्र संकट:**
  - WTO का विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism), जिसे प्राय: संगठन का 'मुकुट रत्न' माना जाता है, को हाल के वर्षों में संकट का सामना करना पड़ा है।
  - व्यापार विवादों पर निर्णय लेने के लिये ज़िम्मेदार अपीलीय निकाय, निकाय में नई नियुक्तियों पर अमेरिका के व्यवधान के कारण निष्क्रिय हो गया है।
  - एक कार्यशील विवाद निपटान तंत्र की अनुपस्थिति बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति भरोसे को कम करती है और एकपक्षीयता को प्रोत्साहित करती है।
- **विकास अंतराल और विशेष एवं विभेदक व्यवहार:**
  - विकासशील देशों को लचीलापन और सहायता प्रदान करने पर लक्षित विशेष एवं विभेदक उपचार (S&D) के सिद्धांत के बावजूद, व्यापार वार्ता में प्रभावी ढंग से भाग लेने तथा व्यापार-संबंधी सुधारों को लागू करने की उनकी क्षमता में असमानताएँ बनी हुई हैं।
  - अल्प-विकसित देशों ((LDCs) के पास प्राय: व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक संसाधनों एवं तकनीकी सहायता की कमी होती है, जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार हाशिये पर बने रहते हैं।
- **डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स:**
  - डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स की तीव्र वृद्धि WTO के लिये अवसर एवं चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है। जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों में व्यापार दक्षता बढ़ाने तथा आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने की क्षमता है, वे ऐसे नए नियामक तथा नीतिगत मुद्दे भी खड़े करते हैं जो पारंपरिक व्यापार समझौतों के दायरे से बाहर हैं।
  - WTO को सभी सदस्य देशों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करते हुए डिजिटल व्यापार की उभरती प्रकृति को समायोजित करने के लिये अपने नियमों एवं समझौतों को अनुकूलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- **पर्यावरण और संवहनीयता संबंधी चिंताएँ:**
  - WTO को अपने व्यापार नियमों एवं समझौतों में पर्यावरण और संवहनीयता संबंधी विचारों को शामिल करने के लिये लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि तथा अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का वैश्विक व्यापार स्वरूपों एवं अभ्यासों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
  - व्यापार उदारीकरण लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करने के लिये आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता दोनों को बढ़ावा देने वाले नियम विकसित करने के लिये WTO सदस्यों के बीच नवोन्मेषी दृष्टिकोण एवं सहयोग की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाओं तक पहुँच:**
  - कोविड-19 महामारी ने व्यापार नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों के महत्त्व को उजागर किया। सस्ती दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति तक पहुँच अब एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिये जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की खरीद में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  - WTO को विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सभी के लिये दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:**
  - हालाँकि कृषि पर WTO विषयों को अद्यतन करना वर्ष 2000 से ही सदस्यों के एजेंडे में रहा है, लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। MC13 में कृषि वार्ता के दायरे, संतुलन और समय-सीमा पर आम सहमति तक पहुँचने में सदस्य देश एक बार फिर विफल रहे।
  - यह विफलता विशेष रूप से 'खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग' (public stockholding for food security purposes) के मुद्दे पर व्यापक असहमति के परिणामस्वरूप देखी गई।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आवश्यक सुधार:

- **विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करना :**
  - व्यापार विवादों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय निकाय की कार्यक्षमता को पुनर्बहाल करना अत्यंत आवश्यक है।
  - अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति में गतिरोध को दूर करने और WTO के विवाद निपटान तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

- **दंड के लिये उपयुक्त प्रावधान:**
  - यदि किसी देश ने कुछ गलत किया हो तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिये। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवज़े की पेशकश करनी चाहिये या ऐसी उचित प्रतिक्रिया का सामना करना चाहिये जिसमें कुछ उपचार (remedy) शामिल हो। यह वस्तुत: दंड नहीं है, बल्कि एक 'उपचार' है, जहाँ अंतिम लक्ष्य यह है कि संबद्ध देश निर्णय का पालन करे।
  - ऐसे दोषी देशों को हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) में अनिवार्य रूप से एक विशेष राशि जमा करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- **आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये व्यापार नियमों को अद्यतन करना:**
  - डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिये WTO के नियमों तथा समझौतों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
  - यहाँ तात्कालिक सुधारों को नई प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने, सतत् विकास को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये व्यापार नियमों को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **S&D प्रावधानों को सुदृढ़ करना:**
  - विकासशील और अल्प-विकसित देशों के विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये S&D प्रावधानों की प्रभावशीलता को बढ़ाना आवश्यक है।
  - यहाँ तात्कालिक सुधारों का लक्ष्य S&D प्रावधानों को विकासशील देशों के समक्ष विद्यमान विशिष्ट आवश्यकताओं एवं चुनौतियों (विशेष रूप से कृषि, IPR और सेवा व्यापार जैसे क्षेत्रों में) के प्रति अधिक क्रियाशील तथा उत्तरदायी बनाना होना चाहिये।
- **व्यापार विकृतियों और सब्सिडी को संबोधित करना:**
  - व्यापार-विकृतिकारी अभ्यासों—जिसमें सब्सिडी भी शामिल है जो बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा को विकृत करती है और निष्पक्ष व्यापार को कमज़ोर करती है, को संबोधित करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है,
  - यहाँ सुधारों को WTO के सभी सदस्यों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी और सरकारी समर्थन के अन्य रूपों पर नियंत्रण मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **समावेशी निर्णयन को बढ़ावा देना:**
  - WTO के भीतर समावेशी निर्णयन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना इसकी वैधता एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।
  - यहाँ तत्काल सुधारों को WTO वार्ताओं, समितियों और निर्णयकारी निकायों में विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों सहित सभी सदस्य देशों की अधिक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

तेज़ी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी वैधता और केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) को दूरदर्शी सुधार करने चाहिये। इसमें सभी सदस्य देशों की आवाज़ के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये समावेशिता को प्राथमिकता देना, आधुनिकीकरण एवं नवाचार के माध्यम से उभरती चुनौतियों तथा अवसरों के प्रति तेज़ी से अनुकूलित होना और हितधारकों के बीच भरोसा निर्माण के लिये पारदर्शिता व जवाबदेही को बनाए रखना शामिल है।

Q14. क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने के क्रम में भारत की 'पड़ोसी प्रथम की नीति' के महत्त्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- पड़ोसी प्रथम की नीति/नेबरहुड फर्स्ट नीति को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।
- भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' में निहित चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' का उद्देश्य अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मज़बूत करना है। हालाँकि यह नीति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने में महत्त्वपूर्ण है लेकिन इससे संबंधित कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य भाग:

पड़ोस प्रथम नीति का महत्त्व :

- **सामरिक महत्त्व :**
  - भारत के पड़ोस में ऐसे देश शामिल हैं जो इसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इन देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने से भारत की भू-राजनीतिक स्थिति एवं सुरक्षा में वृद्धि होगी।

- व्यापार, सुरक्षा तथा कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग से हाल के वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार देखा गया है।
- भूमि सीमा समझौता (LBA) और तीस्ता नदी जल-बँटवारा जैसे समझौते सफल द्विपक्षीय पहल के उदाहरण हैं।

- **व्यापार तथा आर्थिक अवसर:**
  - पड़ोसी देशों से निकटता के चलते व्यापार संबंधों के साथ आर्थिक अवसर मिलते हैं।
  - बेहतर सहयोग से व्यापार की मात्रा, निवेश प्रवाह तथा इसमें शामिल सभी पक्षों के लिये आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:**
  - पड़ोसी देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाने से आतंकवाद, उग्रवाद तथा सीमा पार अपराधों जैसी आम चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
  - सांस्कृतिक तथा लोगों से लोगों के बीच समन्वय को बढ़ावा:
  - भारत के अपने पड़ोसियों के साथ गहन सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध हैं। लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करने से आपसी समझ एवं विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जिससे सतत् राजनयिक संबंधों का आधार तैयार होता है।

पड़ोसी प्रथम की नीति को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **ऐतिहासिक तनाव:**
  - ऐतिहासिक संघर्ष एवं क्षेत्रीय विवाद, सहयोग को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। देशों के बीच अविश्वास तथा तनाव से द्विपक्षीय संबंधों में बाधा आती है।
  - समन्वय के कई प्रयासों के बावजूद, सीमा पार आतंकवाद तथा कश्मीर जैसे मुद्दों के कारण भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
  - इन विवादास्पद मुद्दों को हल करने में प्रगति की कमी, नेबरहुड फर्स्ट नीति की सीमाओं को उजागर करती है।
- **चीन का प्रभाव:**
  - भारत के पड़ोसी देश चीन का बढ़ता प्रभाव, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिये चुनौती है।
  - पड़ोसी क्षेत्रों में बीजिंग के आर्थिक निवेश तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कारण अक्सर भारत के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत होने के साथ भू-राजनीतिक तनाव पैदा होता है।
- **आंतरिक अस्थिरताएँ:**
  - कई पड़ोसी देश राजनीतिक अशांति, जातीय संघर्ष एवं शासन संबंधी मुद्दों के रूप में आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ये आंतरिक चुनौतियाँ, स्थायी समन्वय के प्रयासों में बाधक बनती हैं।
- **शक्ति असंतुलन:**
  - भारत के विस्तृत आकार एवं क्षमताओं को कभी-कभी छोटे पड़ोसियों द्वारा भय के रूप में देखा जाता है, जिससे भारतीय पहल एवं हस्तक्षेप में बाधा आती है।
- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:**
  - कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों में बाधा आती है।
  - बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से देशों के बीच भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है लेकिन इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ हैं।

चुनौतियों को हल करने की रणनीतियाँ:

- **राजनयिक समन्वय:**
  - देशों के बीच चिंताओं को दूर करने तथा विश्वास को बनाए रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर निरंतर राजनयिक समन्वय आवश्यक है। नियमित उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ता से देशों के बीच ऐतिहासिक अविश्वास को दूर करने में मदद मिल सकती है।
  - दक्षिण एशिया में चीन की BRI परियोजनाओं, जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), से इस क्षेत्र में भारत के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहल के माध्यम से भारत की प्रतिक्रिया, वैकल्पिक विकास मॉडल के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - आर्थिक सहयोग पर बल देने से देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कम हो सकती है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसी पहल और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:**
  - सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक छात्रवृत्ति तथा पर्यटन के माध्यम से भारत को सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने तथा लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
- **बहुपक्षीय दृष्टिकोण:**
  - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) जैसे बहुपक्षीय मंचों में शामिल होने से भारत को द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की सुविधा मिलती है।

- **संघर्ष समाधान तंत्र:**
  - संघर्ष समाधान तंत्र एवं विश्वास-निर्माण उपायों को प्राथमिकता देने से क्षेत्रीय विवादों तथा ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने में विमर्श के महत्त्व को कम करके नहीं आँका जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने में प्रभावी है। इससे संबंधित चुनौतियों के बावजूद अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बढ़ाने के भारत के प्रयास इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा विकास को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Q15. क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत के पड़ोस का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- क्षेत्रीय स्थिरता पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव का वर्णन कीजिये।
- विदेश नीति के उद्देश्यों पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत के पड़ोस (जिसे अक्सर दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है) में ऐसे देश शामिल हैं जो भारत के साथ भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध साझा करते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव के कारण यह क्षेत्र भारत के लिये रणनीतिक महत्त्व का है।

मुख्य भाग:

ऐतिहासिक संदर्भ:
- पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भू-राजनीतिक कारकों से आकार मिला है।
- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने गुटनिरपेक्षता एवं क्षेत्रीय सहयोग पर बल देते हुए क्षेत्रीय नेतृत्व का लक्ष्य रखा।
- हालाँकि, सीमा विवाद तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों के कारण कई बार इन संबंधों में तनाव आया है।

वर्तमान परिदृश्य:
- **चीन फैक्टर:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत के लिये रणनीतिक चिंताओं को जन्म दिया है, जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता प्रभावित हो रही है।
- **भारत-पाकिस्तान संबंध:** संघर्षों और आतंकवाद से प्रभावित भारत-पाकिस्तान संबंधों का क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद कश्मीर जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं।
- **बांग्लादेश:** बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंधों से व्यापार एवं सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **श्रीलंका:** भारत-श्रीलंका संबंध जटिल रहे हैं, इसमें तमिल अधिकारों जैसे मुद्दे संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। हालाँकि, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हालिया सहयोग सकारात्मक विकास का संकेत देता है।
- **नेपाल:** नेपाल के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों में कालापानी सीमा विवाद आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत का जन-केंद्रित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य संबंधों को मज़बूत करना है।
- **भूटान:** भूटान के साथ मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों को विकासात्मक सहयोग के माध्यम से मज़बूत किया गया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिल रहा है।

क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** पाकिस्तान के साथ तनाव का क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर परमाणु प्रसार और आतंकवाद के संबंध में।
- **चीन फैक्टर:** क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी पहल के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में जटिलता उत्पन्न करता है।
- **आर्थिक सहयोग:** पड़ोसियों के साथ बेहतर आर्थिक संबंध बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आदि की साझा समृद्धि को बढ़ावा देकर स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ:** सीमा पार आतंकवाद, अवैध व्यापार और पर्यावरणीय क्षरण जैसे मुद्दों के प्रभावी प्रबंधन के लिये क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और बॉलीवुड जैसी पहलों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, इस क्षेत्र में सद्भावना और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करती है।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य:

- **पड़ोसी प्रथम की नीति:** पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना, क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने से चीन के प्रभाव का मुकाबला होने के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति बढ़ती है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने पर बल देता है।
- **आर्थिक एकीकरण:** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) जैसी पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना है।
- **वैश्विक नेतृत्व:** UNSC में स्थायी सीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बड़ी भूमिका की आकांक्षा रखते हुए, पड़ोसियों के साथ भारत की सहभागिता एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में इसकी छवि में योगदान करती है।

आगे की राह:

- **सुरक्षा संबंधी दुविधाएँ:** बातचीत और सहयोग की अनिवार्यता के साथ सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करना एक चुनौती (खासकर कश्मीर जैसे संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में) बनी हुई है।
- **चीन का प्रभाव:** क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ कूटनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता है।
- **घरेलू राजनीति:** नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में घरेलू राजनीतिक गतिशीलता द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिये भारत के दृष्टिकोण में लचीलेपन और व्यावहारिकता की आवश्यकता है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** पड़ोसियों के बीच आर्थिक असमानताओं को दूर करना, सतत् विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है, इसके लिये बुनियादी ढाँचे एवं क्षमता निर्माण में निवेश की आवश्यकता है।
- **ट्रैक II कूटनीति:** लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मज़बूत करने के साथ ट्रैक II जैसी कूटनीतिक पहल आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देते हुए आधिकारिक वार्ताओं का पूरक बन सकती है।

निष्कर्ष:

अपने पड़ोसियों के साथ भारत के विकसित होते संबंधों का क्षेत्रीय स्थिरता तथा इसकी विदेश नीति के उद्देश्यों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हालाँकि इससे संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं लेकिन सक्रिय सहभागिता, संवाद एवं सहयोग से आपसी हितों को बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि के लिये अनुकूल वातावरण बन सकता है।

Q16. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड (QUAD) समूह के महत्त्व का आकलन कीजिये। भारत के रणनीतिक हितों एवं उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु इसके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

07 May, 2024 सामान्य अध्ययन पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत QUAD समूह के परिचय के साथ कीजिये।
- क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के रणनीतिक हितों पर QUAD के महत्त्व का उल्लेख कीजिये।
- उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्वाड में प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड समूह, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा, भू-राजनीति एवं भारत के रणनीतिक हितों के दूरगामी प्रभाव के साथ, भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभरा है।

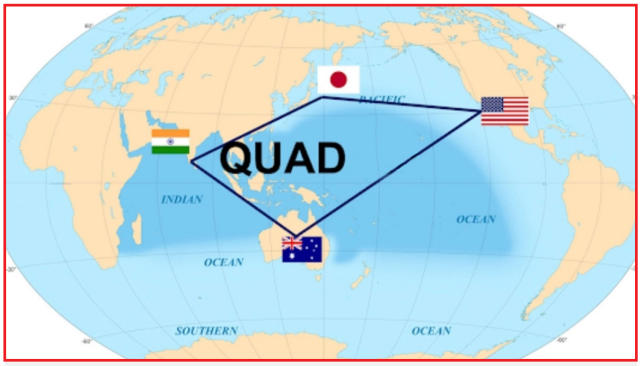

मुख्य भाग:

QUAD का महत्त्व:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में:**
- **चीन की मुखरता का सामना:** क्वाड देशों को दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति प्रदान करता है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करता है।
- **सहकारी सुरक्षा स्थापत्य:** क्वाड सुरक्षा चुनौतियों के लिये एक सहकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- मालाबार अभ्यास, 2024 जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एकतरफा कार्रवाइयों को रोकते हुए, स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिये एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं।
- **साझा मूल्य और मानदंड:** क्वाड UNCLOS के पालन, नेविगेशन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर देता है।
- इस मानक ढाँचे का लक्ष्य इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था को कायम रखना है।
- **भारत के रणनीतिक हितों के संदर्भ में:**
- **चीन के खिलाफ बचाव की रणनीति:** चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और हिंद महासागर में जिबूती जैसे सैन्य अड्डों की स्थापना ने भारत की समुद्री सुरक्षा एवं उसके रणनीतिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिये चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- क्वाड भारत को चीन के उदय के खिलाफ रणनीतिक बचाव प्रदान करता है।
- **निर्बाध व्यापार को सुरक्षित करना:** क्वाड भारत को मलक्का जलडमरूमध्य और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के माध्यम से निर्बाध व्यापार एवं ऊर्जा प्रवाह के अपने प्राथमिक समुद्री हित को सुनिश्चित करने के लिये समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ सहयोग करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में QUAD:

- **संभावित हथियारों की होड़:** चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिये क्वाड के प्रयासों से दोनों पक्षों द्वारा सैन्य व्यय और आधुनिकीकरण के प्रयासों में वृद्धि हो सकती है, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है।
- चीन की पहले से ही क्वाड के बारे में "एशियाई नाटो" के रूप में धारणा है।
- **औपचारिक संरचना का अभाव:** क्वाड में औपचारिक सामूहिक संरचना का अभाव है। यह अस्पष्टता संकट के समय प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाने वाली प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न करती है।
- **भारत की कूटनीतिक घेराबंदी:** रणनीतिक हितों के लिये क्वाड का लाभ उठाने और ब्रिक्स एवं SCO जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से चीन के साथ स्थिर संबंधों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखना भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- **ताइवान की दुविधा:** ताइवान की स्थिति पर QUAD का रुख एक संभावित फ्लैशप्वाइंट है। प्रत्येक सदस्य द्वारा ताइवान को दी जाने वाली राजनयिक मान्यता के अलग-अलग मतों को देखते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाना कठिन है।

निष्कर्ष:

क्वाड के आस-पास उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए, भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा हेतु क्वाड का लाभ उठाने और राजनयिक चैनलों के माध्यम से चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाना होगा। आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताओं सहित अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को मज़बूत करने से भारत-प्रशांत क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता से निपटने में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता एवं सौदेबाज़ी की शक्ति में वृद्धि होगी।

Q17. भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पश्चिम एशिया के राजनीतिक विकास से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के तरीके बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- पश्चिम एशिया में राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के तरीके बताइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया से होने वाले तेल के स्थिर एवं पूर्वानुमानित आयात पर काफी हद तक निर्भर है। हालाँकि ईरान एवं सऊदी अरब के बीच संवेदनशील सुलह प्रयास, इराक से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर अनिश्चितताएँ तथा इस क्षेत्र में घरेलू अशांति व सत्तावादी प्रवृत्तियों के बढ़ने जैसे हालिया राजनीतिक घटनाक्रम इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह आपूर्ति शृंखला संवेदनशील हुई है। ऐतिहासिक रूप से, पश्चिम एशिया की भारत के कच्चे तेल के आयात में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और इसकी कुल कच्चे तेल के आयात में 80% से अधिक की हिस्सेदारी है।

मुख्य भाग:

पश्चिम एशिया में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के आलोक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ:

- **आपूर्ति में व्यवधान तथा मूल्य में उतार-चढ़ाव:**
  - पश्चिम एशिया में राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें संघर्ष तथा गृह युद्ध (जैसे- इराक, सीरिया और यमन में) शामिल हैं, से तेल एवं गैस की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस व्यवधान से भारत का ऊर्जा आयात प्रभावित होने के साथ इसकी कमी होने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये होर्मुज जलडमरूमध्य (जिसकी वैश्विक तेल शिपमेंट में काफी भूमिका है) में संघर्ष से भारत की तेल आपूर्ति पर तत्काल एवं गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- **कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता:**
  - तेल एवं गैस आपूर्ति के लिये कुछ पश्चिम एशियाई देशों पर भारत की अधिक निर्भरता, इन देशों में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति इसे संवेदनशील बनाती है।
  - उदाहरण के लिये भारत के तेल आयात में सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों की प्रमुख हिस्सेदारी है। इन देशों में कोई भी राजनीतिक अस्थिरता या नीति परिवर्तन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक गठबंधन एवं प्रतिद्वंद्विता:**
  - पश्चिम एशिया जटिल भू-राजनीतिक गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता का क्षेत्र है, जिसमें न केवल सऊदी अरब, ईरान एवं तुर्की जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ शामिल हैं बल्कि अमेरिका, रूस तथा चीन जैसी बाहरी शक्तियाँ भी शामिल हैं।
  - भारत के लिये स्थिर ऊर्जा आयात बनाए रखते हुए इस गतिशीलता को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है। इस क्षेत्र में विरोधी गुटों के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता से भारत की विदेश नीति एवं ऊर्जा रणनीतियों में जटिलता आ सकती है।
- **प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ:**
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध (विशेष रूप से ईरान जैसे देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध) महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।
  - उदाहरण के लिये ईरान की अनुकूल शर्तों के बावजूद, भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से अपने तेल आयात को कम करना पड़ा है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के तरीके:

- **पश्चिम एशिया से परे तेल आयात में विविधीकरण:**
  - भारत को अफ्रीका, मध्य एशिया तथा अमेरिका में अन्वेषण एवं उत्पादन परियोजनाओं में निवेश करके अपने तेल तथा गैस आयात स्रोतों में विविधता लाने के अपने प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है।
- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - ईरान-सऊदी अरब के बीच संबंधों को मज़बूत करते हुए, भारत को दोनों देशों एवं अन्य प्रमुख उत्पादकों के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखने चाहिये।
  - इससे आपूर्ति में व्यवधानों से बचाव के साथ प्रतिस्पर्द्धी कीमतों को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है।
- **घरेलू उत्पादन एवं रणनीतिक भंडारण को बढ़ावा देना:**
  - घरेलू अन्वेषण एवं शोधन क्षमताओं में निवेश करने से भारत की आयातित तेल पर निर्भरता में काफी कमी आ सकती है, जिससे बाहरी असंतुलन का असर कम हो सकता है।
  - भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता या मूल्य अस्थिरता के कारण संभावित आपूर्ति व्यवधानों से बचने के लिये अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बढ़ावा देना चाहिये।
- **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:**
  - भारत, पश्चिम एशिया में संवाद तथा शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिये अपने बढ़ते प्रभाव का लाभ उठा सकता है।
  - अधिक स्थिर क्षेत्र से अधिक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति वातावरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:**
  - सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में त्वरित निवेश से लंबे समय में पश्चिम एशिया के जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
- **परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर ध्यान देना:**
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वच्छ, आधारभूत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे अस्थिर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आ सकती है।

- परमाणु प्रौद्योगिकी में निवेश से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूती मिल सकती है तथा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

निष्कर्ष:

पश्चिम एशिया की हाल की राजनीतिक अनिश्चितताओं से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा है। भारत को इस जटिल परिदृश्य से निपटने तथा अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिये तेल आयात में विविधता लाने एवं रणनीतिक साझेदारी बनाने के साथ घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिये।

Q18. वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन तथा वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय हेतु उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिये। इसके साथ ही भारत के समक्ष विद्यमान शरणार्थी चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वर्ष 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का परिचय लिखिये।
- कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय के कारणों का उल्लेख कीजिये।
- भारत के समक्ष आने वाली वर्तमान शरणार्थी चुनौतियों पर गहराई से चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र संधि, शरणार्थियों, उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिये राज्य के दायित्वों को परिभाषित करती है। वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल ने वैश्विक स्तर पर अपना दायरा बढ़ाया।

- ये शरणार्थी संरक्षण के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनी ढाँचा का निर्माण करते हैं, जिसमें न्यायालयों, रोज़गार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उपचार के लिये गैर-वापसी तथा न्यूनतम मानक शामिल हैं।
- इसे जुलाई,1951 में जिनेवा में हस्ताक्षर के लिये आमंत्रित किया गया था, हालाँकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

मुख्य भाग:

वर्ष 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय के निम्न कारण हैं:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भारत की अपने पड़ोसियों के साथ सीमाएँ खुली हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में किसी भी संघर्ष या संकट के कारण बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ सकते हैं।
  - इससे स्थानीय बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव पड़ सकता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसाँख्यिकीय संतुलन बिगड़ सकता है, जो पहले से ही संवेदनशील हैं।
  - शरणार्थियों के रूप में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों, उग्रवादियों या अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों से संभावित खतरों के बारे में चिंता हैं।
- **संसाधन की कमी:** एक विकासशील देश के रूप में भारत पहले से ही अपनी आबादी को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये संघर्ष कर रहा है।
  - बड़ी सँख्या में शरणार्थियों को प्रदान करने के लिये कानूनी दायित्व लेने से सीमित संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और विकास के प्रयासों में बाधा आ सकती है।
  - उदाहरण: वर्ष 1971 में बाँग्लादेश से 10 मिलियन से अधिक शरणार्थियों के आने से संसाधनों की बर्बादी हुई, जिसके कारण हैज़ा फैल गया।
- **नीतियों के लचीलेपन को बनाए रखना:** कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से भारत कानूनी रूप से गैर-वापसी (कोई जबरन प्रत्यावर्तन नहीं) जैसे सिद्धांतों से बँध जाएगा, जो ज़मीनी हकीकत के आधार पर शरणार्थी प्रवाह को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - भारत अद्वितीय क्षेत्रीय चुनौतियों और घरेलू समस्याओं से निपटने के लिये अपनी शरणार्थी नीतियों में लचीलापन बनाए रखना पसंद करता है।
- **शरणार्थी संरक्षण की मानवीय परंपरा:** हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं होने के बावजूद, भारत के पास मानवीय आधार पर विस्थापित लोगों को शरण प्रदान करने का एक लंबा इतिहास है।
  - उदाहरण के लिये तिब्बती शरणार्थियों को दशकों से भारत में आश्रय मिला है। भारत का तर्क है कि उसकी मौजूदा प्रथाएँ शरणार्थी सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।
- **द्विपक्षीय समझौतों पर ध्यान:** भारत पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से शरणार्थी स्थितियों को संभालना पसंद करता है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिक अनुरूप समाधानों की अनुमति प्रदान करता है।

भारत के समक्ष वर्तमान शरणार्थी चुनौतियाँ:

- **रोहिंग्या शरणार्थी संकट:** भारत बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों की मेज़बानी करता है जो म्याँमार में उत्पीड़न के कारण भागकर आए हैं।
  - संभावित सुरक्षा खतरों और संसाधनों पर बोझ संबंधी चिंताओं के साथ, उनकी कानूनी स्थिति तथा अधिकार विवादास्पद बने हुए हैं।

- **उदाहरण:** UNHCR का कहना है कि रोहिंग्या सहित म्याँमार के लगभग 79,000 शरणार्थी भारत में निवास करते हैं।

- **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी स्थिति:** भारत ने श्रीलंका में गृहयुद्ध से भागकर आए बड़ी संख्या में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की मेज़बानी की है।
  - हालाँकि कुछ को वापस भेज दिया गया है या नागरिकता प्रदान की गई है, लगभग 58,000 श्रीलंकाई शरणार्थी अभी भी तमिलनाडु में 104 शिविरों में निवास कर रहे हैं।
- **अफगान शरणार्थियों का आना:** अफगानिस्तान में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के साथ, भारत में अफगान शरणार्थियों तादाद बढ़ी है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में पूर्व के संघर्षों के दौरान भारत में शरण मांगी थी।
- **वैधानिक ढाँचे का अभाव:** शरणार्थी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से भारत की अनुपस्थिति के कारण शरणार्थी मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक वैधानिक ढाँचे की कमी हो गई है, जिसके कारण तदर्थ नीतियाँ तथा विभिन्न शरणार्थी समूहों के साथ असंगत व्यवहार हो रहा है।
- **शरणार्थी शिविरों में चुनौतियाँ:** भारत में शरणार्थी शिविरों और बस्तियों को प्राय: भीड़भाड़, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच एवं सुरक्षा व संरक्षण संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

सुरक्षा, संसाधनों और नीतिगत लचीलेपन के बारे में भारत की चिंताओं ने शरणार्थी कन्वेंशन पर उसके रुख को आकार दिया है, उभरती शरणार्थी चुनौतियाँ इस महत्त्वपूर्ण मानवीय मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने तथा कमज़ोर आबादी के संरक्षण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिये एक मज़बूत कानूनी एवं संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

Q19. क्षेत्रीय शक्तियों एवं गुटों का उदय वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के संदर्भ में इसके संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- बदलती वैश्विक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए परिचय लिखिये।
- वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने वाली क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों पर गहनता से चर्चा कीजिये।
- संयुक्त राष्ट्र जैसी स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के लिये इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है। क्षेत्रीय शक्तियों और गुटों का उदय संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापित श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा है। यह गतिशीलता संयुक्त राष्ट्र के लिये दोधारी तलवार प्रस्तुत करती है, जिसमें नवीन उद्देश्य के अवसरों के साथ-साथ प्रासंगिकता में संभावित गिरावट भी शामिल है।

मुख्य भाग:

वैश्विक व्यवस्था को नवीन आकार प्रदान करने वाली क्षेत्रीय शक्तियाँ और ब्लॉक:

- **नवीन आर्थिक शक्तियों का उदय:** क्षेत्रीय ब्लॉकों का उदय वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को परिवर्तित कर रहा है।
  - उदाहरण के लिये ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) का बढ़ता आर्थिक प्रभाव G7 जैसी पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देता है।
- **विकसित होते सुरक्षा परिदृश्य:** क्षेत्रीय ब्लॉक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को आकार दे रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) इसका एक प्रमुख उदाहरण है और रूस-यूक्रेन संघर्ष में इसका प्रभाव इसकी विकसित होती भूमिका को दर्शाता है।
- **वैकल्पिक विकास मॉडल:** एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे- क्षेत्रीय विकास बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लिये वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल पेश करते हैं, जिन पर पारंपरिक रूप से पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व है।
  - यह विकास वित्त और अवसंरचना परियोजनाओं पर प्रभाव में बदलाव को दर्शाता है, जो संभावित रूप से अधिक बहुध्रुवीय दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।
- **उभरते मानक ढाँचे:** क्षेत्रीय ब्लॉक वैकल्पिक मानदंडों और मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - सदस्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आसियान का ज़ोर पश्चिमी शक्तियों द्वारा कभी-कभी पसंद किये जाने वाले हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण के विपरीत है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित बहुपक्षीय संस्थानों के निहितार्थ:

- **चुनौतियाँ:**
- **बहुपक्षवाद का क्षरण:** क्षेत्रीय शक्तियाँ बहुपक्षीय सहयोग पर अपने हितों और क्षेत्रीय गठबंधनों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जो संभावित रूप से संवाद एवं सहयोग के लिये वैश्विक मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है।
  - **उदाहरण:** चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) एक क्षेत्रीय ढाँचे के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो संभावित रूप से वैश्विक बुनियादी ढाँचे की योजना बनाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को दरकिनार कर देती है।

- **प्रतिस्पर्द्धी हित और गतिरोध:** क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों के बीच अलग-अलग हित तथा प्राथमिकताएँ संयुक्त राष्ट्र के भीतर विखंडन एवं गतिरोध को जन्म दे सकती हैं, जिससे वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की इसकी क्षमता में बाधा आ सकती है।
  - **उदाहरण:** मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच असहमति ने ज़मीन खोजने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को पंगु बना दिया है।
- **संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के लिये चुनौतियाँ:** क्षेत्रीय शक्तियाँ और ब्लॉक संयुक्त राष्ट्र के अधिकार तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर तेज़ी से सवाल उठा सकते हैं, उन्हें पुराना एवं वर्तमान वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व न करने वाला मान सकते हैं।
  - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चल रही रूसी-यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थता ने उभरती शक्तियों के सुधार और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को उजागर किया है।
- **अवसर:**
- **सुधार और अनुकूलन के उत्प्रेरक:** क्षेत्रीय शक्तियों का उदय संयुक्त राष्ट्र के भीतर अति आवश्यक सुधारों के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जो अधिक समावेशी और प्रतिनिधि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा।
  - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये भारत की आवाज़, जिसे कई क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग को दर्शाता है ताकि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान:** संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय शक्तियों और ब्लॉकों के साथ सहयोग कर सकता है क्योंकि वह बहुमूल्य संसाधनों एवं विशेषज्ञता में योगदान दे सकता है ताकि महामारी तथा आतंकवाद जैसी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाली अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- **बहुपक्षीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाना:** क्षेत्रीय शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के भीतर सेतु-निर्माता के रूप में कार्य कर सकती हैं, आम सहमति बना सकती हैं और विभाजन को पाट सकती हैं।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में भारत की भूमिका इसका प्रमुख उदाहरण है।

निष्कर्ष:

क्षेत्रीय शक्तियों का उदय संयुक्त राष्ट्र के लिये एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। संस्था को क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठाकर, अपनी सीमाओं को संबोधित करके, अधिक समावेशी, प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देकर अनुकूलन करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य सामूहिक हित के लिये क्षेत्रवाद की शक्ति का दोहन करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है।